पत्रांक.....21...../

प्रेषक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (NIC)
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 30/01/......2016

विषय :- **जिले के वेबसाईट पर मध्याह्न भोजन योजना का संवेदक चयन हेतु विज्ञापन सूचना 01/16 अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना संचालन हेतु संवेदक चयन विज्ञापन सूचना 01/16 निकाला जाना है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर **जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने** हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन को **जिले के वेबसाईट पर** अपलोड करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक - विज्ञापन सूचना 01/16 (03 पन्ना)

विश्वासभाजन

30/01/16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

30/01/16

## बिहार सरकार

### संवेदक चयन हेतु विज्ञापन-सूचना-01/16

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.11, 1366 दिनांक 28.08.12 एवं चयन-सह-अवधि विस्तार समिति का निर्णय के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना, के अन्तर्गत मधेपुरा जिला के सभी तेरह (13) प्रखंडों (मधेपुरा, सिंहेश्वर, घैलाढ़, गम्हरिया, शंकरपुर, कुमारखंड, मुरलीगंज, ग्वालपाड़ा, उदाकिशुनगंज, बिहारीगंज, पुरैनी, चौसा, आलमनगर) में अवस्थित विद्यालयों के लिए खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु संवेदक के चयन के लिए मुहरबंद निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) मधेपुरा के परिसर में अवस्थित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना मधेपुरा के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों के अंदर कार्यालय अवधि में आमंत्रित किया जाता है। निविदा (आवेदन) देने के लिए शर्त्ते एवं इससे सम्बन्धित विस्तृत विवरणी जिलाधिकारी, मधेपुरा की वेवसाईट http:// madhepura.nic.in पर दी गई है। निविदादाता (आवेदक) उक्त वेवसाईट पर विस्तृत विवरणी देख सकते हैं। कार्यालय अवधि में कार्यालय आकर भी विस्तृत विवरणी प्राप्त की जा सकती है। इसके पूर्व प्रकाशित किये गये विज्ञापन संख्या-3/15 को अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता है।

30-01-16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

29/01/16

## बिहार सरकार

### संवेदक चयन हेतु विज्ञापन-सूचना-01/16

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.11,1366 दिनांक 28.08.12 एवं चयन-सह-अवधि विस्तार समिति का विशेष निर्णय दिनांक 19.08.2015 के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत मधेपुरा जिला के सभी तेरह (13) प्रखंडों में ( आलमनगर पंचायत 14, बिहारीगंज पंचायत 12, चौसा पंचायत 13, गम्हरिया पंचायत 08, घैलाढ़ पंचायत 09, ग्वालपाड़ा पंचायत 12, कुमारखंड पंचायत 21, मधेपुरा पंचायत 17, मुरलीगंज पंचायत 17, पुरैनी पंचायत 09, शंकरपुर पंचायत 09, सिंहेश्वर पंचायत 13 एवं उदाकिशुनगंज पंचायत 16) में अवस्थित विद्यालयों के लिए खाद्यान्न के परिवहन एवं हथालन हेतु संवेदक के चयन के लिए मुहरबंद निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के परिसर में अवस्थित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने की अंतिम तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों के अंदर कार्यालय अवधि में अद्योलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित किया जाता है।

1. संवेदक को कम से कम 15 पंचायत वाले प्रखंड हेतु 5 ट्रैक्टर/ट्रक तथा 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखंड हेतु 8 ट्रैक्टर/ट्रक मालिकों का लिखित इस आशय का एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/ट्रक को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगें। यदि कोई एक निविदादाता किसी ट्रैक्टर/ट्रक का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करते हैं और दूसरे उसी ट्रैक्टर/ट्रक का लिखित एकरारनामा उस प्रखंड में या अन्य प्रखंडों के लिए देते हैं तो सभी का आवेदन (निविदा) अमान्य कर दिया जायेगा।

   निविदादाता को आवेदित सभी वाहनों का अद्यतन रजिस्ट्रेशन, फिटनेश, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, इन्श्योरेंश आदि वाहन संबंधी कागजात की छायाप्रति निविदा के साथ देना होगा। निविदा की स्कूटनी के समय गाड़ियों का मूल कागजात दिखाना होगा। एक आवेदक एक ही प्रखंड हेतु आवेदन करेंगें। एक से अधिक प्रखंडों में आवेदन कि स्थिति में उनका सभी आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
2. आवेदक को 50000.00(पचास हजार रुपये) बैंक गारंटी एकरारनामा के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना मधेपुरा के पक्ष में जमा करना होगा।
3. आवेदक को अनुमंडल पदाधिकारी अथवा आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को 10000.00 (दस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा के नाम से अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रुप में जमा करना होगा, जो सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा के कार्यालय में जमा रहेगा।
5. आवेदक को आवेदन के साथ आयकर पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न करना होगा एवं स्क्रूटनी के समय मूल रूप से दिखाना होगा।
6. समय पर कार्य में असफल होने अथवा असंतोष जनक कार्य पर आवेदक की सुरक्षित जमा राशि 10,000.00 (दस हजार रुपये) जब्त कर ली जाएगी।
7. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेगें। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवी (मध्याह्न भोजन योजना) एवं संवेदक संयुक्त रुप से जिम्मेवार होंगें।
8. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त वाहन, ईंधन लगने वाली मजदुरी हथालन व्यय आदि सारी